प्रारंभिक परीक्षा

CCEA ने इथेनॉल खरीद मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी

संदर्भ

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति(CCEA) ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों(OMC) के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य को 56.58 रुपये प्रति लीटर से संशोधित कर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यह इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत किया गया है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (EBP) के बारे में -

- **यह पेट्रोल में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ाने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है।**
- इसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया है।
    - यहां तेल विपणन कंपनियां(OMC) 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं।
- **लक्ष्य:** 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण करना(E20)। (पिछला लक्ष्य- 2030)
- **कार्यक्रम के उद्देश्य:**
    - कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करना।
    - विदेशी मुद्रा का संरक्षण।
    - घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।
    - चीनी उद्योग में मूल्य संवर्धन बढ़ाना।

इथेनॉल के बारे में -

- **यह एक स्पष्ट, रंगहीन और ज्वलनशील तरल है। इसे एथिल अल्कोहल (C2H5OH) के नाम से भी जाना जाता है।**
- इथेनॉल का उत्पादन खमीर या अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा शर्करा(चीनी) के किण्वन के माध्यम से किया जाता है।
- एक बार मिश्रित होने के बाद, इथेनॉल को पेट्रोल से अलग नहीं किया जा सकता है।
- चूंकि इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है, यह इंजन को ईंधन को पूरी तरह से जलाने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप कम उत्सर्जन होता है और जिससे पर्यावरण प्रदूषण की घटना कम हो जाती है।
- **इसमें पेट्रोल की तुलना में अधिक ऑक्टेन संख्या होती है, इसलिए पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या में सुधार होता है।**

स्रोत: **The Hindu - hike in ethanol procurement price**

पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS)

संदर्भ

जुंटा नेतृत्व वाले देश माली, **नाइजर** और **बुर्किना फासो** ने आधिकारिक तौर पर **पश्चिम अफ्रीका के मुख्य राजनीतिक और व्यापारिक समूह ECOWAS को छोड़ दिया।**

ECOWAS के बारे में -

- **ECOWAS 12 पश्चिम अफ्रीकी देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है।**
- इसकी **स्थापना मई 1975 में लागोस संधि द्वारा** की गई थी। **(मुख्यालय- अबुजा, नाइजीरिया)।**
- **ECOWAS देशों के नागरिकों को सभी सदस्य देशों में रहने और काम करने के साथ-साथ वस्तुओं के मुक्त आवागमन का अधिकार है।**
- **उद्देश्य:**
    - एक बड़ा व्यापार ब्लॉक बनाकर अपने सदस्य देशों के लिए "सामूहिक आत्मनिर्भरता" प्राप्त करना।
    - जीवन स्तर को ऊपर उठाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
    - एक ही सामान्य मुद्रा रखना
- **सदस्य: 12 (माली, नाइजर और बुर्किना फासो के हटने के बाद)**
    - बेनिन, केप वर्डे, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो।

स्रोत: **The Hindu - ECOWAS**

सैन्य ठिकानों और असद के भाग्य पर रूस-सीरिया वार्ता

संदर्भ

हाल ही में रूस ने सीरिया के नए वास्तविक नेता मोहम्मद अल-जोलानी (अहमद अल-शरा) के साथ सीरिया में अपने सैन्य ठिकानों के भविष्य के बारे में चर्चा की।

सीरिया में रूस की सैन्य उपस्थिति -

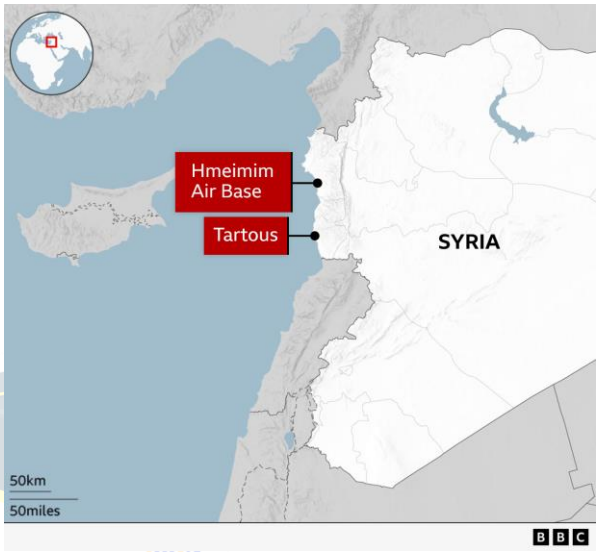

- **रूस सीरिया में दो प्रमुख सैन्य अड्डे संचालित करता है:**
  - **टार्टस (नौसैनिक अड्डा)**
    - यह सीरिया के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित है।
    - यह अपने क्षेत्र के बाहर रूस का एकमात्र गर्म पानी वाला नौसैनिक अड्डा है।
    - यह भूमध्य सागर में संचालित रूसी युद्धपोतों के लिए रसद सहायता प्रदान करता है।
  - **हमीमिम एयर बेस (लताकिया के पास)**
    - यह 2015 से रूसी सेनाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक रणनीतिक एयरबेस है।
    - यह लताकिया गवर्नरेट में स्थित है।
    - सीरिया के गृह युद्ध के दौरान असद का समर्थन करने के लिए रूस ने यहां से हवाई हमले किए थे।
- **सीरिया की रूस से मांगें:**
  - बशर अल-असद का सीरिया को प्रत्यर्पण।
  - विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए रूस से मुआवजा, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति सहायता।

स्रोत: **The Hindu - Russia, in bid to retain military bases**

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना

संदर्भ

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग 8.5 लाख परिवारों ने छत पर सौर कनेक्शन स्थापित किए हैं।

पीएम सूर्य घर योजना के बारे में -

- **लॉन्च तिथि:** 15 फरवरी, 2024
- **उद्देश्य:** छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना की सुविधा प्रदान करके एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना।
- **नोडल मंत्रालय:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC)

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **निःशुल्क बिजली प्रावधान:** पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी।
- **सब्सिडी:** इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर पैनलों की लागत का 60% तक और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच के सिस्टम के लिए 40% तक सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित है।
    - **अर्थात्** 1 किलोवाट प्रणाली के लिए ₹30,000 सब्सिडी, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए ₹60,000 तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए ₹78,000 सब्सिडी।
- **आदर्श सौर गांव:** इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव बनाना है।
    - **आदर्श सौर गांव के लिए विचार किए जाने वाले गांव हेतु पात्रता मानदंड:**
        - **सामान्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए:** नवीनतम जनगणना के अनुसार 5,000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए।
        - **हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए:** नवीनतम जनगणना के अनुसार 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले राजस्व गांव।
- **शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन:** इन संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

स्रोत: **The Hindu - Rooftop Solar scheme**

कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के बारे में -

- **यह भारत को महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित एक रणनीतिक पहल है।**
- सरकार ने **25 महत्वपूर्ण खनिजों** और **ब्लिस्टर कॉपर पर सीमा शुल्क माफ कर दिया** है।
- **मिशन के उद्देश्य:**
    - तांबे और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना।
    - महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की आयात निर्भरता कम करना, जो वर्तमान में कुछ तत्वों के लिए 100% है
    - महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करना और उनके अधिग्रहण और संरक्षण की योजना बनाना।
    - महत्वपूर्ण खनिजों के शोधन और प्रसंस्करण के लिए भारत की क्षमता बढ़ाना और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों के विकल्प खोजना।

NCMM की मुख्य विशेषताएं

- **कुल परिव्यय: सात वर्षों में ₹34,300 करोड़**
    - ₹16,300 करोड़ सरकारी खर्च
    - पीएसयू और निजी क्षेत्र से ₹18,000 करोड़ का निवेश
- **घरेलू अन्वेषण और खनन को सुदृढ़ बनाना:**
    - अन्वेषण, खनन, लाभकारी, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण
    - 2030-31 तक 1,200 महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परियोजनाओं का लक्ष्य
    - 100 से अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की योजना
- **बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना:**
    - 4 खनिज प्रसंस्करण पार्क की योजना बनाई गई।
    - महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
    - अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) से ₹1,000 करोड़।

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- ➔ **ये खनिज संसाधन, प्राथमिक एवं प्रसंस्कृत दोनों प्रकार के हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक इनपुट हैं।**
- ➔ इनमें अनुपलब्धता और मूल्य अस्थिरता के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का जोखिम शामिल है।
- ➔ **हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है।**
- ➔ **ये खनिज हैं** - एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफ़नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटालम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम

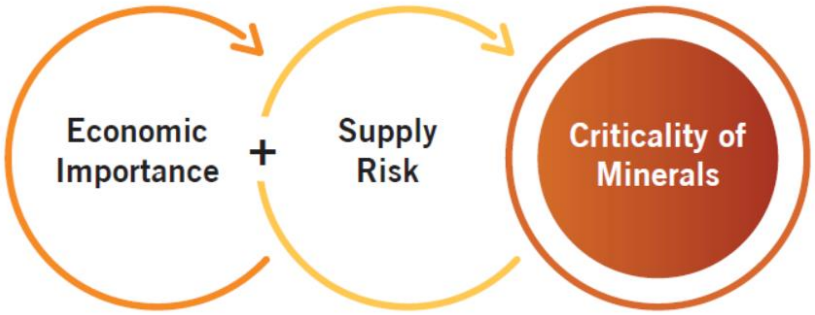

स्रोत: **Indian Express - Cabinet approves critical minerals mission**

मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने छह महानगरों - दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में -

- **मैनुअल स्कैवेंजरों का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 में 'मैनुअल स्कैवेंजर'** को **"मानव मल को हाथ से ढोने के काम में लगे या नियोजित व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है।**
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथा स्वच्छ जल और स्वच्छता (लक्ष्य 6), सभ्य कार्य और आर्थिक विकास (लक्ष्य 8), असमानताओं में कमी (लक्ष्य 10) और शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों (लक्ष्य 10) से संबंधित एसडीजी को कमजोर करती है।

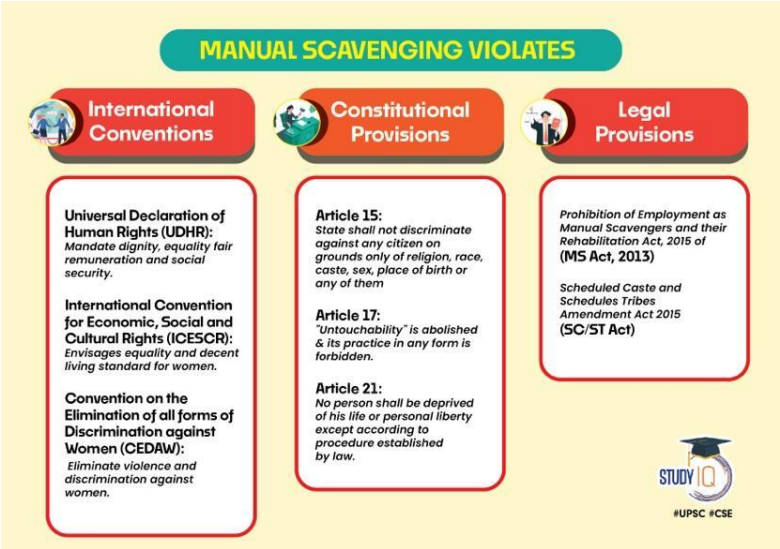

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

- **इसका गठन अगस्त 1994 में 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।**
- 2004 में 1993 अधिनियम के समाप्त होने के साथ, आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, इसका कार्यकाल समय-समय पर सरकारी संकल्पों के माध्यम से बढ़ाया जाता है।
- **इसका उद्देश्य भारत में सफाई कर्मचारियों या मैनुअल मैला ढोने वालों की स्थिति में सुधार करना है।**
- **NCSK सफाई कर्मचारियों की स्थिति, अवसरों और सुविधाओं में असमानताओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार को कार्यक्रमों की सिफारिश करता है।**

अधिक जानकारी के लिए: यहां जाएं - STUDY IQ
स्रोत: The Hindu - Manuel Scavenging

समाचार संक्षेप में

रिवर्स फ्लिप(Reverse Flip)

- **क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ज़ेप्टो ने अपनी नियोजित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) से पहले सिंगापुर से भारत की ओर रिवर्स फ्लिप पूरा कर लिया है।**

रिवर्स फ्लिप के बारे में -

- **रिवर्स फ्लिप शब्द का प्रयोग विदेशी स्टार्ट-अप्स द्वारा भारत में अपना निवास स्थान बदलने तथा भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की प्रवृत्ति को वर्णित करने के लिए किया जाता है।**
- यह उस स्थिति को संदर्भित करता है, जहां एक कंपनी, विशेष रूप से एक भारतीय स्टार्टअप, जिसे शुरू में आसान धन उगाहने और विनियमन के लिए विदेश में स्थापित किया गया था, अपने कानूनी मुख्यालय और स्वामित्व को वापस भारत में स्थानांतरित करने का निर्णय लेती है।
- **कारण:**
    - भारत की विशाल एवं बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना
    - उद्यम पूंजी तक पहुंच
    - अनुकूल कर व्यवस्था और अनुकूल सरकारी नीतियाँ आदि।

स्रोत: **Business Standard - Reverse Flip Zepto**

MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

- **सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रस्तुति से दो दिन पहले वित्त वर्ष 2025 के बजट में घोषित MSME (MCGS-MSME) के लिए पारस्परिक क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है।**
- इस योजना का **उद्देश्य ₹100 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करना है।**
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को 60% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **ऋण कवरेज और पात्रता:**
    - MSME उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए ₹100 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं।
    - उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत कुल परियोजना लागत का 75% होनी चाहिए।
    - पात्र होने के लिए MSME के पास एक वैध उद्यम पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
- **चुकौती अवधि और अधिस्थगन:**
    - **₹50 करोड़ तक के ऋण:** पुनर्भुगतान अवधि 8 वर्ष तक, मूल किस्तों पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ।
    - **₹50 करोड़ से अधिक के ऋण**: उच्च पुनर्भुगतान अनुसूची और अधिस्थगन अवधि पर विचार किया जा सकता है।
- **गारंटी शुल्क और प्रारंभिक योगदान**: आवेदन के समय ऋण राशि का 5% प्रारंभिक योगदान आवश्यक है।
- **योजना अवधि**: यह योजना MCGS-MSME के तहत स्वीकृत ऋणों पर परिचालन दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से चार साल के लिए या ₹7 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक लागू होगी।

स्रोत: Indian Express - MSME

वंशानुगत रेटिनल रोग (IRD)

- **IRD आनुवंशिक स्थितियों का एक समूह है जो दृष्टि हानि या अंधेपन का कारण बन सकता है।**
- ये रेटिना के कार्य को नियंत्रित करने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं।
- रेटिनल रोग ऐसे विकार हैं जो रेटिना को प्रभावित करते हैं।
- **IRD की व्यापकता:**
  - **वैश्विक मामले:** अनुमानित 5.5 मिलियन लोग, प्रचलन दर 3,450 में 1।
  - **भारत (उच्च प्रसार):** दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 372 में से 1 और दक्षिण भारत के शहरी क्षेत्रों में 930 में से 1।

रेटिना

- **यह आंख के पीछे स्थित ऊतक की एक प्रकाश-संवेदनशील परत है जो छवियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है जिन्हें मस्तिष्क संसाधित कर सकता है।**
- **यह काम किस प्रकार करता है:**
  - प्रकाश आँख के लेंस से होकर गुजरता है और रेटिना पर केन्द्रित होता है।
  - रेटिना में फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं प्रकाश को कोडित संकेतों में परिवर्तित करती हैं।
  - रेटिना इन संकेतों को ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजती है।
  - मस्तिष्क संकेतों को डिकोड करता है और उन्हें दृष्टि के रूप में व्याख्यायित करता है।

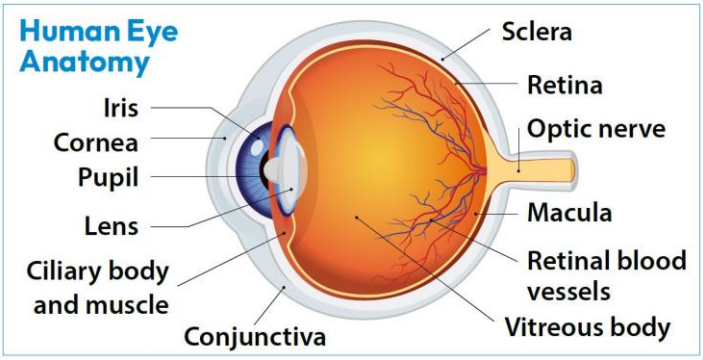

स्रोत: The Hindu - Retinal diseases

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS)

- **LADCS एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपराधिक मामलों में आरोपी लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।**
- इसका **वित्तपोषण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा** किया जाता है।
- **लक्षित लाभार्थी:**
  - गरीब एवं हाशिए पर पड़े व्यक्ति
  - हिरासत में लिए गए लोग (विचाराधीन, दोषी, किशोर अपराधी)
  - संकट में महिलाएँ और बच्चे
  - मानव तस्करी के शिकार

प्रमुख विशेषताऐं

- **पूर्णकालिक कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता (LADC):**
  - जिला स्तर पर नियुक्त

  - आपराधिक मामलों को शुरू से अंत तक संभालता है (पूर्व परीक्षण, परीक्षण, अपील, जमानत, आदि)
- **निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व:** आपराधिक मामले के सभी चरणों में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें जांच, परीक्षण और अपील शामिल हैं।
- **24x7 सहायता:** LADCS के वकील पुलिस स्टेशनों, जेलों और अदालतों में सहायता करते हैं।
- **गोपनीय एवं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व:** निजी कानूनी प्रतिनिधित्व के समान गुणवत्तापूर्ण बचाव सुनिश्चित करता है।

स्रोत: **The Hindu - Schemes to look out on Budget day**

मिशन अन्वेषण

- **यह देश की तलछटी घाटियों का अन्वेषण करने के लिए केंद्र सरकार की एक परियोजना है।**
- इस परियोजना का **उद्देश्य भूवैज्ञानिक डाटाबेस तैयार करना तथा बेसिनों के भूकंपीय कवरेज में सुधार करना है।**
- यह राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (**NSP**) का चरणबद्ध कार्यान्वयन है।
- **नोडल मंत्रालय:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- **महत्व:**
  - **मिशन अन्वेषण से देश की तलछटी घाटियों के बारे में समझ को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।**
  - इससे एक विश्वसनीय डाटाबेस बनाने में मदद मिलेगी जिसका उपयोग भविष्य में अन्वेषण और लाइसेंसिंग के लिए किया जा सकेगा।

स्रोत: **The Hindu - Schemes to look out on Budget day**

संपादकीय सारांश

कर्नाटक संगीत में कॉपीराइट की पहेली

संदर्भ

- हाल ही में चेन्नई में आयोजित मार्गाज़ी सीज़न के दौरान कॉपीराइट कानून और कर्नाटक संगीत के बीच संबंध पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया।
- जब रसिक (संगीत श्रोता) अनेक संगीत समारोहों में शामिल हुए, तो उन्हें सभाओं के नाम से जाने जाने वाले प्रदर्शन स्थलों द्वारा अनधिकृत रिकॉर्डिंग के विरुद्ध लगाए गए कानूनी प्रतिबंधों की याद दिलाई गई।

भारत में कॉपीराइट नियम

- **भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, मूल रूप से 1914 में अधिनियमित किया गया और 1957 में संशोधित किया गया।**
- भारत में, संगीत में कॉपीराइट कॉपीराइट अधिनियम, 1957 द्वारा शासित होता है, जो संगीत रचनाओं और प्रदर्शनों में शामिल विभिन्न हितधारकों के अधिकारों को परिभाषित करता है।
- अक्सर इसकी औपनिवेशिक जड़ों के लिए आलोचना की गई है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनूठी विशेषताओं को समायोजित करने में विफल है।

ये अधिकार किसे प्राप्त हैं?

- **संगीतकार और गीतकार अधिकार**: संगीतकार (जो धुन बनाता है) और गीतकार (जो गीत लिखता है) अपने-अपने कार्यों पर अपने जीवनकाल के लिए और अपनी मृत्यु के बाद **60 वर्षों तक कॉपीराइट रखते हैं।**
    - उनके अधिकारों में पुनरुत्पादन, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन, अनुकूलन और अनुवाद पर नियंत्रण शामिल हैं।
- **ध्वनि रिकॉर्डिंग अधिकार (मैकेनिकल अधिकार)**: जब कोई गाना रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिकॉर्डिंग पर एक अलग कॉपीराइट बनाया जाता है।
    - यह अधिकार उस संस्था के पास होता है जो गीत को रिकॉर्ड करती है (अक्सर एक रिकॉर्ड लेबल) और यह अधिकार **रिकॉर्डिंग के वर्ष से 60 वर्षों तक रहता है**।
    - रिकॉर्डिंग के मालिक को रिकॉर्ड किए गए संस्करण का व्यावसायिक उपयोग करने का अधिकार है।
- **कलाकारों के अधिकार**: लाइव प्रदर्शन में भाग लेने वाले गायक, वादक और अन्य संगीतकारों को **कलाकार का अधिकार प्राप्त होता है**, जो प्रदर्शन की तारीख से **50 वर्ष तक रहता है।**
    - उन्हें अनधिकृत रिकॉर्डिंग पर रोक लगाने तथा उनके प्रदर्शन को रिकॉर्ड, स्ट्रीम या बेचे जाने पर रॉयल्टी का दावा करने का अधिकार है।

कॉपीराइट अनुपालन में रसिकों (श्रोताओं) के लिए चुनौतियाँ

- **रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध**: कई सभाएं (संगीत कार्यक्रम स्थल) दर्शकों को प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग करने से स्पष्ट रूप से मना करती हैं, लेकिन इसका प्रवर्तन असंगत है।
    - ऑनलाइन पोस्ट की गई अनधिकृत रिकॉर्डिंग कलाकारों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और संगीतकारों को व्यावसायिक लाभ से वंचित करती है।
- **तात्कालिक प्रस्तुतियों के लिए अस्पष्ट कॉपीराइट संरक्षण**: कर्नाटक संगीतकार अक्सर तात्कालिक प्रस्तुतियों (मनोधर्म) का प्रयोग करते हैं, जो उनके प्रदर्शन में मौलिकता जोड़ते हैं।

  - हालाँकि, भारतीय कॉपीराइट कानून इन्हें स्पष्ट रूप से अलग रचनात्मक कार्य के रूप में मान्यता नहीं देता है, जिससे ये असुरक्षित रह जाते हैं।
- **सार्वजनिक डोमेन संबंधी भ्रम**: कई शास्त्रीय रचनाएं (जैसे, त्यागराज स्वामी और पुरंदर दास द्वारा रचित) सार्वजनिक डोमेन में हैं, जिससे कोई भी उन्हें प्रस्तुत कर सकता है।
  - हालाँकि, आधुनिक कलाकारों की अनूठी शैली और संशोधनों को कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त नहीं है, भले ही वे महत्वपूर्ण कलात्मक मूल्य जोड़ते हों।
- **रॉयल्टी का दावा करने में कठिनाई**: फिल्म संगीत उद्योग के विपरीत, कर्नाटक संगीतकारों को कलाकारों के अधिकारों के कमजोर प्रवर्तन के कारण अपनी रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन से पैसा कमाने में कठिनाई होती है।
  - कई प्रदर्शन तीसरे पक्ष द्वारा बिना सहमति के ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे कलाकारों के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से राजस्व अर्जित करना मुश्किल हो जाता है।

क्या किया जा सकता है?

- **तात्कालिक कार्यों के लिए कानूनी सुधार**: शास्त्रीय प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण तात्कालिक कार्यों को विशिष्ट रचनात्मक कार्यों के रूप में मान्यता देने और संरक्षित करने के लिए कॉपीराइट अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।
  - संगीतकारों को अपनी अनूठी व्याख्याएं दर्ज कराने तथा उन पर अधिकार का दावा करने में सक्षम होना चाहिए।
- **कलाकारों के अधिकारों का सशक्त प्रवर्तन**: संगीत समारोह स्थलों को अनधिकृत रिकॉर्डिंग के विरुद्ध कठोर नीतियां लागू करनी चाहिए तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
  - संगीतकारों के पास यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों से रॉयल्टी का दावा करने के लिए एक संरचित प्रणाली होनी चाहिए।
- **डिजिटल कॉपीराइट ट्रैकिंग**: ब्लॉकचेन या एआई-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम कर्नाटक संगीत समारोहों के अनधिकृत अपलोड की निगरानी और रोकथाम में मदद कर सकते हैं।
  - डिजिटल अधिकार प्रबंधन (डीआरएम) उपकरणों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि संगीतकारों को श्रेय दिया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए।
- **रसिका जागरूकता और नैतिक श्रवण**: प्रशंसकों और दर्शकों को कॉपीराइट कानूनों और नैतिक श्रवण प्रथाओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
  - अनधिकृत ऑनलाइन संस्करणों का सहारा लेने के बजाय वैध संगीत रिकॉर्डिंग खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की जा सकती है।
- **सहयोगात्मक लाइसेंसिंग मॉडल**: सभाएं, संगीतकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक निष्पक्ष लाइसेंसिंग मॉडल पर सहयोग कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कलाकारों को डिजिटल स्ट्रीम से उचित श्रेय और राजस्व प्राप्त हो।

स्रोत: **The Hindu: The copyright conundrum in Carnatic music**

बजट विकास में गिरावट को कैसे रोक सकता है?

संदर्भ

हाल के अनंतिम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों से अपेक्षा से कम विकास दर का संकेत मिलता है, जो पहले के सरकारी अनुमानों के विपरीत है।

सुधार के बाद के आर्थिक चरणों का विश्लेषण -

1991 के बाद के आर्थिक सुधार काल को तीन अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

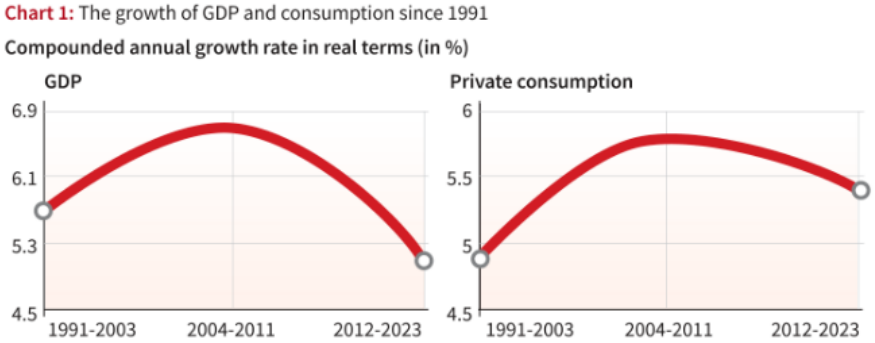

1. **1991-2004:** मध्यम विकास, बढ़ती आय असमानता।
2. **2004-2011**: पूर्ण गरीबी में गिरावट के साथ उच्च विकास चरण, अधिकार-आधारित कानून और कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य के हस्तक्षेप में वृद्धि।
3. **2011-2023**: आर्थिक मंदी, विशेष रूप से 2019 के बाद से, विमुद्रीकरण (2016), जीएसटी (2017), और कोविड-19 लॉकडाउन (2020) के कारण।

- **इन तीन चरणों में सकल घरेलू उत्पाद और निजी खपत के लिए उल्टे U-आकार के विकास वक्र, हाल के वर्षों में गिरावट को उजागर करते हैं।**
- **2004-2011 के दौरान सामाजिक सेवाओं और विकासात्मक व्यय में तीव्र वृद्धि हुई है।**

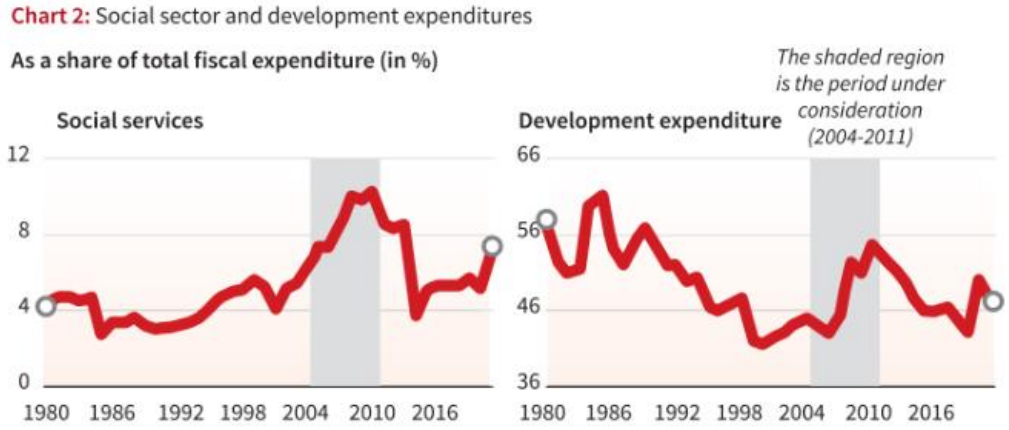

- **निचले 80% लोगों के बीच उपभोग में वृद्धि हुई**, जिससे **कुल उपभोग में शीर्ष 20% का हिस्सा कम हो गया**।

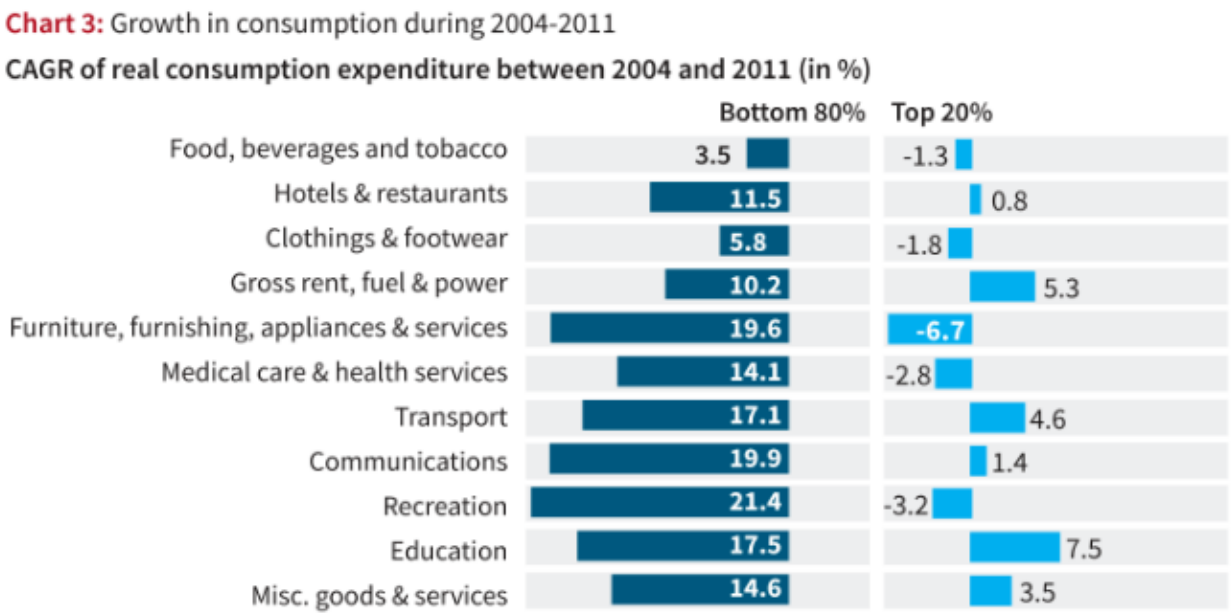

- हाल की सरकारी नीतियों में **मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि राजस्व व्यय में कटौती की गई है।**

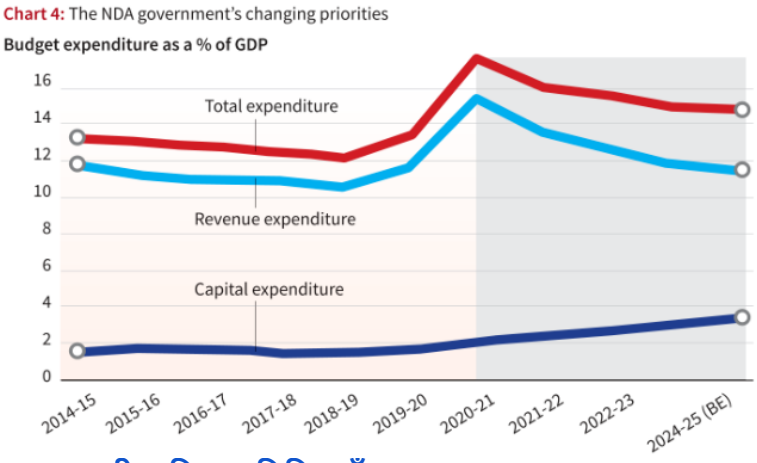

आर्थिक मंदी पर सरकार की हालिया प्रतिक्रियाएँ

मंदी को स्वीकार करते हुए, सरकार ने मुख्य रूप से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया है। हालाँकि, इस रणनीति से महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिले हैं:

- 2019 में 30% से 22% तक कर कटौती के बावजूद, निजी निवेश स्थिर बना हुआ है।
- वर्तमान आर्थिक स्थितियों से संकेत मिलता है कि मौजूदा क्षमताओं का कम उपयोग होने पर कंपनियां निवेश करने में अनिच्छुक होती हैं।

आर्थिक पुनरुद्धार के लिए भावी प्रस्ताव

चल रही मंदी से निपटने के लिए दो-आयामी रणनीति की सिफारिश की जाती है:

- **राजस्व व्यय में वृद्धि:** श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्र के व्यय को प्राथमिकता देना, जिससे मांग में वृद्धि होगी और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **श्रम-प्रधान पूंजी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना:** सुनिश्चित करना कि पूंजीगत व्यय उन परियोजनाओं की ओर निर्देशित हो जो रोजगार सृजन करती हैं तथा उच्च गुणक वाली हों।

स्रोत: **The Hindu: How can the Budget arrest growth decline?**

भारत-चीन संबंध मधुर नहीं

संदर्भ

एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में, भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के उद्देश्य से कई विश्वास-निर्माण उपायों पर सहमत हुए हैं।

हाल के घटनाक्रम क्या हैं?

- **कैलाश मानसरोवर यात्रा (ग्रीष्म 2024) की बहाली:** तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा, जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल है, 2020 से कोविड-19 और सीमा तनाव के कारण निलंबित होने के बाद फिर से शुरू होगी।
- **सीधी उड़ानों की बहाली**: नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी उड़ानें फिर से स्थापित की जाएंगी, जिससे लोगों के बीच और व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा। कोविड-19 प्रतिबंधों और तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के कारण हवाई संपर्क बाधित हो गया था।
- **पत्रकारों और थिंक टैंकों के लिए वीज़ा जारी करना**: दोनों देश अकादमिक और मीडिया आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए पत्रकारों और थिंक टैंकों के सदस्यों के लिए वीज़ा जारी करना शुरू करेंगे। यह कदम अधिक सहभागिता और पारदर्शिता की इच्छा का संकेत देता है।
- **सीमा पार नदी डेटा साझा करना**: चीन भारत के बाढ़ प्रबंधन और जल संसाधन योजना के लिए महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र और सतलज जैसी सीमा पार नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना जारी रखेगा।
    - हाल के वर्षों में सीमा तनाव के बीच डेटा-साझाकरण समझौतों को व्यवधानों का सामना करना पड़ा था।

इन उपायों का महत्व

- 2020 के गलवान संघर्ष के बाद तनावपूर्ण संबंधों में नरमी का संकेत।
- लोगों के बीच जुड़ाव और व्यापार सुधार को बढ़ावा देना।
- सीमा पर तनाव अनसुलझा रहने पर स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को प्रतिबिंबित करना।

राजनयिक संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ

भारत-चीन संबंधों की विशेषताएँ हैं:

- **शिखर सम्मेलन**: नेताओं के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकें।
- **सीमा वार्ता**: प्रादेशिक समझौतों पर 30 वर्षों से अधिक समय से चल रही चर्चा।
- **विश्वास-निर्माण उपाय (CBM)**: वास्तविक नियंत्रण रेखा (**LAC**) पर सैन्य झड़पों को रोकने के लिए।
    - **गलवान (2020) एक अपवाद था** जहां मौतें अपेक्षाकृत कम थीं।
- **लोगों से लोगों के बीच (P2P) संबंध एवं व्यापार**: पर्यटन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संपर्क और आर्थिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया गया।
    - हजारों भारतीय छात्र चीन में अध्ययन करते हैं और सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करते हैं।

गलवान घटना से पहले, इन तत्वों ने एक स्थिर राजनयिक माहौल बनाने में योगदान दिया था, जिसमें हजारों भारतीय छात्र चीन में अध्ययन कर रहे थे और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में संलग्न थे।

वर्तमान पिघलन को प्रेरित करने वाले कारक

भारत और चीन के बीच नए सिरे से जुड़ाव को तीन महत्वपूर्ण कारक प्रभावित कर रहे हैं:

- **आर्थिक अंतरनिर्भरता**: भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% वार्षिक की वृद्धि दर पर स्थिर हो गई है, जबकि चीन की वृद्धि लगभग 5% तक धीमी हो गई है।

  - दोनों देश एक-दूसरे के बाजारों की आवश्यकता को समझते हैं; भारतीय व्यवसायों को फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चीनी उत्पादों की आवश्यकता है, जबकि चीन पश्चिमी संरक्षणवाद के बीच अपने बाजारों में विविधता लाना चाहता है।
- **सैन्य गतिरोध:** गलवान संघर्ष के बाद, दोनों देशों ने अपनी विवादित सीमाओं पर महत्वपूर्ण सैन्य तैनाती बनाए रखी है, जिससे उन्हें काफी लागत उठानी पड़ रही है।
  - भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए, कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सकता है, जिससे तनाव कम करने में पारस्परिक रुचि पैदा हो सकती है।
- **राजनीतिक विचार:** दोनों देश अपने-अपने क्षेत्रों में अमेरिकी प्रभाव से चिंतित हैं।
  - भारत और चीन का लक्ष्य रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन करके और संभावित साझेदारी का संकेत देकर वाशिंगटन के साथ अपनी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना है।

कूटनीतिक जुड़ाव में हालिया घटनाक्रम

2024 के अंत में, महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाए गए:

- **सैन्य वापसी:** विवादित सीमाओं पर सैन्य वापसी को पूर्ण करने तथा बफर जोन स्थापित करने पर सहमति बनी।
- **उच्च स्तरीय बैठकें:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2019 के बाद पहली औपचारिक बैठक कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई।
- **वार्ता की बहाली:** पांच वर्ष के अंतराल के बाद क्षेत्रीय विवादों पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता फिर से शुरू हुई, जिसमें पिछले समझौतों पर लौटने पर चर्चा हुई।

आगे की चुनौतियां

सकारात्मक प्रगति के बावजूद, कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:

- **ऐतिहासिक तनाव:** 2010 के बाद से हुए पिछले टकराव (जैसे, देपसांग, डोकलाम, गलवान) संकेत देते हैं कि क्षेत्रीय विवाद जटिल हैं और इन्हें सुलझाना कठिन है।
- **पारस्परिक अविश्वास:** दोनों राष्ट्र एक-दूसरे की विदेश नीतियों और सैन्य महत्वाकांक्षाओं के बारे में चिंतित हैं, विशेष रूप से अमेरिका-चीन तनाव के मद्देनजर।
- **सामरिक संतुलन**: भारत और चीन के बीच एक नई समझ या संतुलन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पिछले समझौतों के बाद से उनकी भौतिक क्षमताओं में काफी विकास हुआ है।

स्रोत: **Indian Express: India-China diplomatic thaw: what the fine print of their statements reveals**
Indian Express: A Much Needed Thaw